RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-06
June-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

समावेशी विकास : उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 धनंजय शर्मा

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) राजकीय कन्या महाविद्यालय, खानपुर (हरिद्वार)
(Corresponding Author: dsbhu2008@gmail.com)

भारत में सामवेशी विकास की अवधारण कोई नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों का यदि अवलोकन करें, तो उनमें भी सभी लोगों को साथ लेकर चलने का भाव निहित है, 'सर्वे भवन्तु सुखिन' में भी सबको साथ लेकर चलने का ही भाव निहित है लेकिन नब्बे के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से यह शब्द नये रूप में प्रचलन में आया क्योकि उदारीकरण के दौर मे आया क्योंकि उदारीकरण के दौर में वैश्विक अर्थव्यस्थाओं को भी आपस में निकट में जुड़ने का मौका मिला और अब यह अवधारणा देश और प्रान्त के बाहर निकलकर वैश्विक संदर्भ में भी प्रासंगिक बन गई है, सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं में इस समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 का तो सारा जोर एक प्रकार से त्वरित समावेशित और सतत् विकास के लक्ष्य हासिल करने पर है, ताकी 8 फिसदी की विकास दर हासिल की जा सके।

समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो ना केवल नये अर्थिक अवसरों को पैदा करें, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों के समान पहुंच को सुनिशचित भी करें, हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते है जब वह समाज के सभी सदस्यो की इसमें भागेदारी और योगदान को सुनिशचित करता है। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है जिसमें लोगो की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ–साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजिविका के साधनों को सुपुर्दगी भी करना है, परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें पुरी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास ना तो टिकाऊ होता है और न समावेशी ही वस्तु पर दृष्टि से समावेशी विकास उस स्थिति की इंगित करता है। जहां सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं मे कमी आए।

आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की एक चौथाई से अधिक आबादी अभी भी गरीब है, और उसे जीवन की मूलभूत सुविधांएं उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत में समावेशी विकास की अवधारणा सही मायने में जमीनी धरातल पर नही उतर पायी है, ऐसा भी नहीं है, कि इन सात दशकों में सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं कि गये केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोगों की गरीबी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम बने परन्तु उचित अनुश्रवण के आभव में इन कार्यक्रमों के आशानुरूप परिणाम नहीं मिले और कहीं तो ये कार्यक्रम पुरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ गये। यही नहीं जो योजनायें केन्द्र तथा राज्यों में संयुक्त वित्त पोषण से संचालित की जानी थी, वे भी कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने या पर फिर निहित राजनीतिक स्वर्थों की वजह से कार्योन्वित नहीं की जा सकी।

समावेशी विकास ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर निर्भर करता है इस समवेशी विकास की पहली शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है वर्तमान में हालांकि मनरेगा जैसी और भी कई रोजगार परक योजना प्रभावी है और कुछ हद तक लोगों को सहायता भी मिली है। परन्तु इस आजिविका का स्थायी साधन नहीं कहा जा सकता है। जबकि ग्रामिणों के लिए एक स्थायी तथा दीर्घकालिन रोजगार की जरूरत है। अब तक का अनुभव यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय कृषि के अलावा रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों का सृजन की कई योजनाएं क्यो न चलाई गयी हो। इसके अलावा गांवों में ढांचागत विकास भी उपेक्षित रहा फलतः गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता रहा और शहरी की और लोग उन्मुख होते रहे इससे शहरों में मलिन बस्तियों की संख्या बढती गयी तथा अधिकांश शहर जनसंख्या को बढते दबाव को वहन कर पाने में असमर्थ ही है। यह कैसी विडम्बना है कि भारत की अर्थव्यस्था की रीढ कही जाने वाली कृषि अर्थव्यस्था निरंतर कमजोर होती गयी ओर वीरन होते गए, तो दुसरी और शहरों में बेतरतीब शहरीकरण को बल मिला ओर शहरों में आधारभूत सुविधाएं चरमराई यही नहीं रोजी–रोटी के अभाव में शहरों में अपराधों की बढाई है।

वास्तविकता यह है कि भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कृषि क्षेत्र से इतर वैकल्पिक रोजगार के साधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो, परंतु मूल प्रश्न उन अवसरों के दोहन का है। सरकार को कृषि में अभिनव प्रयोगों के साथ उत्पादन में बढोतरी सहित नकदी फसलों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। यहां पंचायतीराज संस्थाओं के साथ जिला स्तर पर कार्यरत कृषि अनुसंधान संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जो किसानों से सम्पर्क कर कृषि उपज बढाने की दिशा में पहल करें तथा उसके समक्ष आने वाली दिक्कतों का समाधान भी खोजें तभी कृषि विकास का इंजन बन सकती है। कृषि के बाद सम्बद्ध राज्य में मौजूद घरेलू तथा कुटीर उद्योगों के साथ पर्यटन पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हो सरकार को आर्थिक सुधारों के साथ–साथ कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा,सब्सिडी का नकद अन्तरण आदि पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

भारत में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। किन्तु महिलाओं जनसंख्या का एक बडा हिस्सा अवसरों की उपलब्धता से वंचित है, हासिए पर है। महिलाएं निर्णय

RRIJM 2015, All Rights Reserved

प्रक्रिया और भागीदारी में पीछे है। शारीरिक दुर्बलता, अशिक्षा, निर्धनता अस्वास्थ्य और सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनकी दयनीय स्थिति है, महिलाओं की इस स्थिति के रहते भारत के विकास, उत्थान, उन्नति, प्रगति, और एक भारत–श्रेष्ठ भारत का सपना बेमानी हैं। इस हकीकत को समझते हुए, भारत सरकार ने समावेशी विकास में आधी आबादी को हकदार और भागीदार बनाया है, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, विद्यालय मे बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल स्वच्छता अभियान और मिशन इन्द्रधनुष जैसे पहल महिलाओं कें स्वालंबन और सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास हैं। अब प्रत्येक महिला के लिए स्वयं का बैंक खाता रखना संभव हो गया है, अब उसकी कमाई के पैसे पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा, वर्षो के बाद अल्प आय, अल्प बचत करने वाली महिलाओं में भी अत्मविश्वास दिखाई देने लगा है।

महिलाओं की तरह ही आबादी का एक और बडा हिस्सा दरकिनार है, वनवासी अंचलो में निवासरत जनजाति समाज भी विकास की मुख्यधारा से बहिस्कृत रहा है, इस समाज को औद्योगिकरण, नगरीकरण के साथ ही दोषपूर्ण विकास का खमियाजा भुगतना पडा हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास, रोजगार आदि इनकी पहुॅच से अभी दूर है, जनजाति समाज पिछडेपन के कारण अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार होता रहा हैं। सरकार ने जनजातियों के सर्वांगिण विकास के लिए 'वन–बन्धु कल्याण योजना' की शुरूआत की है। जनजाति क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को सम्बद्ध करने की कोशिश भी किया जा रहा है। जनजाति विकास के लिए नव गठित नीति आयोग को भी निर्देशित किया गया है। जनजातीय समाज में परिवर्तन और विकास के लिए सरकार प्रौद्योगिकी की पहुॅच भी सुलभ कराने की कवायद कर रही है।

उत्तराखण्ड राज्य ने अपने 16 वर्ष की यात्रा मे सहकारिता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। राज्य की वार्षिक विकास दर से लगभग डेढ गुनी है। औधोगिक विकास दर 16 प्रतिशत व सेवा क्षेत्र में 12 व कृषि विकास दर 55 प्रतिशत बनी हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय एवं औसत आय तेजी से आगे बढ़ रही है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दो गुनी है।

उत्तराखण्ड समावेशी किकास के रास्ते पर कदम आगे बढा रहा है। उत्तराखण्ड सर्वाधिक प्रकार के समाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला पहला राज्य है। 2014 में पेंशन लाभार्थियों की संख्या मात्र 1 लाख 74 हजार थी, जो बढकर 7 लाख 25 हजार हो गयी है। जबकि पेंशन की राशि 400 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया गया है। विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के अलावा अब अक्षम व परितक्वता नारी विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, बौना पेंशन, जन्म से विकलांग बच्चों को पोषण भता दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसान, पुरोहित, कलाकार, शिल्पकार, पत्रकार निर्भाण कर्मी के साथ ही जंगरिया, डंगरिया को भी पेंशन प्रदान की जा रही है इसके साथ ही सरकार प्रत्येक नागरिक का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। 'खिलती कलियाँ योजना', बच्चों के कुपोषण उत्मुलन योजना भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। सड़क से वंचित गांवों को जोडने के लिए मेरा गांव मेरी सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 1425 करोड़ से 77 किमी सड़क निर्मित कर 227 गांव को पहली बार सड़क से जोडा जा रहा है चालू वित्तिया वर्ष में सरकार 1100 किमी नई सड़क का कार्य प्रारम्भ किया गया है साथ ही सामुहिक खेती के लिए महिला मंगल दलों और समुहो की 01 लाख की प्रोत्सहन धनराशी के रूप में दी जा रही है।

उत्तराखण्ड पहला राज्य है। जिसमे किसानों को पेंशन दी जा रही है साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय व परम्परागत खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फसलों पर बोनस दिया जा रहा है। जैविक खेती को बढावा देने के साथ–साथ पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। वे मौसमी सब्जी को बढावा देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित स्थानीय एवं परम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 154818 रूपये है जबकि सम्पूर्ण भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 93231 रूपये है उत्तराखण्ड देश का सर्वाधिक तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल है। मेरे बुर्जुग मेरे तीर्थ योजना के अर्न्तगत पैंसठ वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा रोड़वेज से करायी जाती है।

गरीबों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को टूलकिट वितरित की जा रही है जिससे की गरीब श्रमिक अपना रोजगार कर जीवकोपार्जन कर सके। इसके अन्तर्गत एक लाख चौवत्तर हजार श्रमिकों को टूलकीट वितरित किये जा चुके हैं इसके अलावा महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 4 रू0 प्रोत्साहन राशि दे रही है जिससे की राज्य को श्वेत क्रान्ति के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जा सके। इसके लिए गंगा गाय महिला डेरी योजना को विस्तारित किया जा रहा है जिससे महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में भी गरीब छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कक्षा 01 से 05 तक के बच्चों को 200 रू0 प्रतिमाह कक्षा 06 से 08 तक को 300 रू0 प्रतिमाह कक्षा 09 से 10 तक को 400 रू0 प्रतिमाह कक्षा 11 से 12 तक को तथा आई0 टी0 आई0 को 500 रू0 प्रतिमाह स्नातक/स्नातकोत्तर के छात्र–छात्राओं को 800 रू0 पॉलिटेक्निक के छात्रों को 1000 रू0 प्रतिमाह उच्च व्यवसायिक शिक्षा हेतु 2500 रू0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड जैसे विकांसशील प्रदेश मे समावेशी विकास एक चुनौती है। सामाजिक अन्तर्विरोध, विकारो और पूर्वाग्रहो ने इस चुनौती को और अधिक जटिल कर दिया है। जो परिर्वतन सामाजिक परंम्पराओ और मांनको से मेल नही खाता, समाज या तो उसे अस्वीकार कर देता है,या बडी मुश्किल से स्वीकार करता है, असंतुलित और सामाजिक रूप से प्रतिकूल विकास समाधान की बजाए समस्याओ को पैदा करती है। जटिल सामाजिक संरचना, जनसंख्या के बडे हिस्से की निर्धनता, क्षेत्रिय विषमता, भिक्षावृति, भ्रूण–हत्या, महिला अपराघ, बालिकाओ का स्कूल बहिस्कार, महिलाओ के बारे मे परंपरागत पूर्वाग्रह, किसानो की दयनीय स्थिति, अकुशल श्रमशक्ति, प्राथमिक और उच्च शिक्षा की निम्न गुणवत्ता,

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बाजार और उदारीकरण का दबाव आदि ऐसी समस्याएं है,जो समावेशी विकास के समक्ष एक रुकावट बनकंर खडी है।

समावेशी विकास वैश्विक और उत्तराखण्ड के संन्दर्भ में नया नही है। आजादी के बाद विकास मॉडल के विभिन्न प्रारुपों का प्रयोग होता रहा है। किन्तु विकास का भारतीयकरण न होने के कारण दोषपूर्ण विकास प्रक्रिया का संचालन होता रहा है। समस्याएं कम होने या खत्म होने की बजाय बढती गई। प्रदेश में एकांगी और असंतुलित विकास के कारण विषमता और असमानता का विकास हुआ। प्राचीनकाल से ही उपलब्ध विकास दर्शन और अवधारणा को नजरअंदाज करने के कारण अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अब लम्बे अरसे के बाद समसवेशी विकास का ताना–बाना तैयार किया जा रहा है। विकास में हिस्सेदारी और जिम्मेदारी की भावना स्थापित की जा रही है। इस विकास प्रक्रिया में जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, आयु, सम्प्रदाय आदि हासिए पर है। समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो रहा हैं। विकास की मुख्यधारा में वंचित, तिरस्कृत, बहिस्कृत, और दरकिनार आबादी का स्थान सुनिश्चत किया जा रहा है। समावेशी विकास की महिला, जनजाति और किसान को विशेष महत्व देने की कोशिश हो रही हैं। यह जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा है, समावेशी विकास की प्रक्रिया से देश में उन्नति और समृद्धि के साथ सद्भावना, समरसता, और श्रेष्ठता भी आयेगी। हालाकिं वर्तमान सरकार समावेशी विकास का आगाज कर रही है। अभी बहुत कुछ होना बाकि है, आवश्यकता इस बात की है कि विकास मॉडल को प्रदेश के अनुकूल हो, विकास के लिए पर्वतीय मानक, पद्धति और प्रकिया गढे जायें। मूल्यांकन और उपचार की पद्धति भी पर्वतीय हो। उत्तराखण्ड का विकास उत्तराखण्ड की दृष्टि से हो, तभी यह सार्थक और सफल सिद्ध होगा।

संन्दर्भ

1. शंकर आचार्य, 2016, 'इकोनामिक ग्रोथ : सम रिफलेक्शन्स', इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 41, नं0 44 4 नवम्बर
2. मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, 2010, 'इकोनामिक परफॉमेन्स ऑफ स्टेट् इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड', इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली, 6 मई
3. मोहन्ती, दीपक 2012, मक 'रीजनल इकोनामी ऑफ इण्डिया', आर0 बी0 आई0 एवं एकेडमिक फाउण्डेशन, पृष्ठ सं0 47
4. मोहन्ती, दीपक 2012, मक 'रीजनल इकोनामी ऑफ इण्डिया', आर0 बी0 आई0 एवं एकेडमिक फाउण्डेशन पृष्ठ सं0 44–46
5. सेट्टी, एस0एल0 2013, ए ग्रोथ ऑफ एसडीपी एण्ड स्ट्रक्चरल चेन्ज इन स्टेट इकोनामिक : इंटर स्टेट कॉम्पेरिजन, ई0पी0डब्ल्यू, 6 दिसम्बर
6. 'भारत 2016, 'आयोजन'', प्रकाशन विभाग , सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ0 सं0–690–695
7. www.ukgov.in/hht
8. www.ukportal.ac.in

RRIJM 2015, All Rights Reserved